



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225820
CG-DL-E-11032021-225820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1072]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942

No. 1072]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

का.आ. 1160(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा, का.आ. 2915(अ) दिनांक 13 नवंबर, 2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड(ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर संख्या 70/2014, दिनांक 13 नवंबर, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः-

2. उक्त अधिसूचना में अनुसूची-1 में, क्रम संख्या-9 के सामने, प्रविष्टि (xiv) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रमशः स्तंभ 4 और स्तंभ 5 में अन्तःस्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं.	आयकर महानिदेशालय(अन्वेषण)	मुख्यालय	प्रधान आयकर आयुक्त /आयकर आयुक्त(केन्द्रीय)	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			“(xv) प्रधान आयकर आयुक्त /आयकर आयुक्त(केन्द्रीय), गुवाहाटी	गुवाहाटी”

3. उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में, स्तंभ 4 में संख्या (xv), (xvi), (xvii), (xviii) और (xix) को (xvi), (xvii), (xviii), (xix) और (xx) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।
4. इस अधिसूचना को 3 जनवरी, 2020 से लागू माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 14 /2021/फा.सं. 187/7/2021-(आईटीए-1)]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना का.आ. 2915(अ) दिनांक 13 नवंबर, 2014 के माध्यम से भारत राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, इसे शुद्धिपत्र संख्या का.आ. 2922(अ) दिनांक 15 नवंबर, 2014 के साथ पढ़ा जाए।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पदों के परिवर्तन के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2020 के कार्यालय आदेश संख्या 8 को फा.सं. ए-11011/3/2019 ए.डी. VI, दिनांक 3 जनवरी, 2020 में जारी किया। उक्त कार्यालय आदेश को प्रभावी बनाने हेतु इस संशोधित अधिसूचना को 3 जनवरी, 2020 से प्रवर्धप्रभावी किया जा रहा है। अतः यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।